



श्री संजय प्रसाद यादव
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं
कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार



श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड



झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, रौची

श्रम भवन, डोरण्डा, रौची-834002, दूरभाष : 0651 - 3511622,
लेबर हेल्पलाईन नं. : 18003456526, ई-मेल : bocjhr@gmail.com

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत निबंधित श्रमिकों के लिए लाभकारी योजनाएँ

1. निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)



पात्रता : निबंधित लाभुक

योजना का लाभ

योजनान्तर्गत बोर्ड के अहर्ता प्राप्त निबंधित लाभुकों/सदस्यों को एक ब्राण्डेड हेलमेट तथा एक जोड़ी सेफ्टी जूते क्रय करने हेतु 1,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में Direct Cash Transfer किया जायेगा। लाभ निबंधन के तुरन्त बाद।
(DBT के माध्यम से)

2. श्रमिक औजार सहायता योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)



पात्रता

- आयु 18 वर्ष से अधिक
- निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर आदि प्रकार के ट्रेड के लाभुकों को योजना का लाभ देय होगा।
- लाभुक द्वारा किसी अन्य ट्रेड के लिए औजार-किट प्राप्त नहीं किया गया हो।
- निबंधन के तीन माह के उपरांत।

योजना का लाभ

पात्रता के अनुरूप संबंधित ट्रेड के औजार किट क्रय करने हेतु 5,000 रुपये तक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में Direct Cash Transfer किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाभुक के द्वारा राशि प्राप्त होने के 3 माह के भीतर सामग्री क्रय कर रसीद संबंधित श्रम कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। लाभ प्राप्त होने के तीन (3) वर्ष बाद पुनः लाभ दिया जायेगा।

(DBT के माध्यम से)

3. मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)

पात्रता

- लाभुकों के दो मेधावी संतानों के लिए।
- कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर कोई भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।



योजना का लाभ

क्र. सं.	कक्षावार विवरण	प्राप्ति रसीद सभी छात्र एवं छात्रा
1	कक्षा 1 से 8वीं तक	5,000/-
2	कक्षा 9 से 12वीं तथा इण्टर स्तरीय या समकक्ष पाठ्यक्रम के लिये	10,000/-
3	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय या समकक्ष पाठ्यक्रम के लिये (डिप्लोमा सहित) (इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छोड़कर)।	20,000/-
4	इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में।	50,000/-

(DBT के माध्यम से लाभ)

4. झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)



पात्रता : निबंधित लाभुक

योजना का लाभ

सभी 18–60 वर्ष के निबंधित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
योजनान्तर्गत देय लाभ :-

1.	कामगार की कार्य के दौरान या अन्य स्थलों पर दुर्घटना में मृत्यु पर	रु 4,00,000 का अनुदान।
2.	दुर्घटना में पूर्ण अपंगता पर	रु 3,00,000 का अनुदान।
3.	दुर्घटना में आंशिक अपंगता पर	रु 2,00,000 का अनुदान।
4.	सामान्य मृत्यु पर	रु 2,00,000 का अनुदान।

(Bank Transfer एवं DBT के माध्यम से लाभ)

5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)



पात्रता

- गंभीर बीमारी यथा कैंसर, हृदय रोग (शल्यक्रिया सहित), गुर्दा रोग (शल्यक्रिया सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्यक्रिया सहित), एड्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, मेजर वेस्कुलर डिजीज, बोन मैरे ट्रांसप्लान्ट, लीवर ट्रांसप्लान्ट, हेपाटोमा, एडवांस सिरोसिस ऑफ लीवर, रेटीनल डिटाचमेंट, प्रोलिफरेटिव डाईबेटिक रेटिनोपैथी, रेटीनल आर्टरी ऑक्लूजन, ईल्स डिजीज, मैकुलर होल से पीड़ित हों।
- जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के उपरांत योजनान्तर्गत लाभ देय होंगे।

योजना का लाभ

- स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर रोगों की सूची, चिकित्सीय व्यय की अधिकतम अधिसीमा तथा सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची में किये गये संशोधन / परिमार्जन Mutatis-Mutandis इस योजना के प्रयोजनार्थ लागू माने जायेंगे।
- वर्तमान में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा रूपये दो लाख, पचास हजार निर्धारित है।
- एक बीमारी हेतु लाभुकों को एक ही बार योजना का लाभ।
(अस्पताल को Bank Transfer)

6. चिकित्सा सहायता योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)



पात्रता

पाँच या उससे अधिक कार्यदिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर।

योजना का लाभ

- अकुशल श्रेणी के श्रमिक हेतु विहित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
- अधिकतम 40 कार्यदिवस के समतुल्य भुगतान।
(DBT के माध्यम से लाभ)

7. मातृत्व प्रसुविधा योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)

पात्रता

प्रथम दो प्रसुतियों के लिए।

योजना का लाभ

- 15,000 रुपये की सहायता।
(DBT के माध्यम से लाभ)



8. विवाह सहायता योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)



पात्रता

तीन वर्षों तक लगातार अंशदान करने पर

योजना का लाभ

- दो संतानों/महिला सदस्य के विवाह हेतु 30,000 रुपये की सहायता।
(DBT के माध्यम से लाभ)

9. अंत्येष्टि सहायता योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)

पात्रता

निबंधित लाभुक

योजना का लाभ

- मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु मृतक सदस्य के नामित व्यक्तियों/आश्रितों को 10,000 रुपये का भुगतान।
(Bank Transfer के माध्यम से)



10. पेंशन योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)

पात्रता

- निबंधित लाभुक
- तीन वर्षों तक बोर्ड में अंशदान किया हो
- 60 वर्ष की समाप्ति पर

योजना का लाभ

- 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में।
(DBT के माध्यम से लाभ)



11. निःशक्तता पेंशन

(स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)

पात्रता

वैसे लाभुक जो कि पक्षाधात, कुष्ठ, यक्षमा, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो।

योजना का लाभ

- निःशक्तता पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह
- अनुग्रह राशि 10,000 रुपये एकमुश्त भुगतान।
(निःशक्तता प्रतिशतता के आधार पर DBT)



12. परिवारिक पेंशन योजना

(स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)



पात्रता

पेंशन भोगी की मृत्यु की अवस्था में परिवार के सदस्यों को।

योजना का लाभ

पेंशन का 50% या 500 रुपये अधिकतम का भुगतान।

(Bank Transfer के माध्यम से)

13. अनाथ पेंशन

(स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)

पात्रता

लाभुक / पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद

योजना का लाभ

- पेंशनभोगी के मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन, परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित होगा।

(Bank Transfer के माध्यम से)





बोर्ड का सदस्य होने की अहत्ता एवं प्रक्रिया

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में 90 दिन कार्य किया हो।
- 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
- वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया Online है।
- निर्माण श्रमिकों का निबंधन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक / श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
- Online निबंधन करते समय आवश्यक कागजात यथा पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, नोमिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं स्व घोषणा upload करना है।
- निबंधन एवं अंशदान समाधान पोर्टल पर Online जमा करें।

श्रमिक

राजमिस्त्री, मजदूर, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, बढ़ई, लोहार, हथौड़ा चलाने वाले, लकड़ी चीरने वाले, तोड़ने व पीसने वाले, सड़क कर्मकार, मिक्सर मेन, पलम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेल्डर, पंप ऑपरेटर, रोलर चालक, बांध, पुल, सड़क एवं भवन निर्माण में लगे कर्मकार, कुँआ खोदने वाला, लकड़ी या पत्थर फेंकने वाला, बाढ़ कटाव रोधी में लगे कर्मकार, ईट भट्ठे, खपरा, फ्लाई एश, टाईल्स मजदूर, पंडाल निर्माण में लगे कर्मकार, बंसोड़, कुम्हार, सीमेन्ट पोल बनाने वाले मजदूर, रेत या गिट्टी मजदूर, मोजाईक पालिश करने वाला, सुरंग कर्मकार, चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार, गाढ़ या तलछट लगाने वाला गोताखोर, छप्पर डालने वाले, चौकीदार, बड़े यंत्र के कार्य जैसे – भारी मशीनरी, पुल आदि के कार्य में लगे खलासी।

अधिक जानकारी के लिए

रस्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/जिला में
पदस्थापित श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/
उप श्रमायुक्त का कार्यालय से संपर्क करें।



Toll Free No.

1800 345 6526



**झारखण्ड भवन एवं अन्य
सनिमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड, रॉची**

श्रम भवन, डोरण्डा, रॉची-834002, दूरभाष : 0651 – 3511622,
लेबर हेल्पलाईन नं. : 18003456526, ई-मेल : bocjhr@gmail.com